सिद्धार्थ विश्वविद्यालय
कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
पिनः–272202
website: www.suksn.edu.in

SIDDHARTH UNIVERSITY
Kapilvastu, Sidhharth Nagar
Pin -272202
Email Id: registrarsidduniv@gmail.co

पत्रांकः 652/सा0प्र0/सि0वि0वि0/2026 दिनांक 03/08/2026

सेवा में, समयबद्ध

1. समस्त अधिष्ठाता
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

2. प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

विषय– मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित शिक्षकों व उनके आश्रितों के लम्बित eKYC पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (उच्च शिक्षा) उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/1195/2026–27 दिनांक 03/08/2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत eKYC के लिए योग्य 42,017 लाभार्थियों में से केवल 19,339 लाभार्थियों ने ही eKYC पूर्ण किया है जबकि 22,078 ने अद्यतन eKYC पूर्ण नहीं किया है।

तद्क्रम में आप सभी से अनुरोध है कि अपने संकाय/महाविद्यालय के शिक्षकों व उनके आश्रितों का eKYC अपने स्तर से 02 कार्य दिवसों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

03/08/26
कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बस्ती मण्डल।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर मण्डल।
3. समस्त शिक्षकगण, विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध सि0वि0वि0 कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक:

ई – मेल/समयबद्ध

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- डिग्री विकास / 1195 /2026-27 दिनांक- 03/08/2026

विषय- मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित शिक्षको व उनके आश्रितो के लम्बित e-KYC पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन व स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इंटीग्रेटेड (SACHIS), लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों में उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत e-KYC के लिए योग्य 42,017 लाभार्थियों में से केवल 19,339 लाभार्थियों ने ही e-KYC पूर्ण किया है जबकि 22,078 ने अद्यतन e-KYC पूर्ण नहीं किया हैं।

विषयगत प्रकरण के संबंध में समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश व कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त राज्य विश्वविद्यालय परिसर, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के शिक्षकों व उनके आश्रितों का e-KYC अपने स्तर से 02 कार्य दिवसों में पूर्ण कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

प्रकरण उच्च स्तर के आदेशों से आच्छादित है, अतएव आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,
3/8/26
डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी (उ0शि0)
कृते – शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन:- डिग्री विकास/ 1195-96 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

3/8/26
डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त निदेशक/नोडल अधिकारी (उ0शि0)
कृते – शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Scanned with OKEN Scanner